न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 5/2021

वीरेन्द्र कुमार सिंह (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ।

–आवेदक

बनाम

1. मुबारिक खान पुत्र हारून खान (विक्रेता) मैसर्स एच. के. डेयरी, काला की कोठी, खिलोरा, रामगढ जिला अलवर। नमूनीकरण पताः– चैकपोस्ट पुलिस थाना विराटनगर बाहर, जयपुर। वाहन पिकअप नं० RJ 32 GC 3901
2. हारून खान पुत्र हुसेना (प्रोपराईटर) मैसर्सः– एच.के. डेयरी, काला की कोठी, खिलोरा, रामगढ जिला अलवर। निवासीः– 135, काला की कोठी, खालसा नगर, आदिनाका, खिलोरा, रामगढ जिला अलवर।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20/1/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं वीरेन्द्र कुमार सिंह दिनांक 20.09.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक–एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक–एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

आवंटित किया गया है जिसके अन्तर्गत आने वाला समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.09.2020 को रात 07.00 पी.एम पर पुलिस थाना विराटनगर, जयपुर की सूचना एवं श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देश पर पुलिस थाना विराटनगर पहुंचा जहा मौके पर श्री अरविन्द भारद्वाज S.I. उपस्थित थे, उन्हे अपना परिचय देकर निरीक्षण करने पर पुलिस थाना परिसर के वाहर रोकी गई गड़ी पिकअप संख्या RJ 32 GC 3901 में प्लास्टिक के 11 आईस वोक्स प्रत्येक में लगभग 40 किलो पनीर कुल लगभग 440 किलो पनीर जयपुर शहर में विभिन्न फर्मों पर विक्रय हेतु लाया जा रहा था। पनीर की भौतिक जॉच चखने, सूंगने व हाथ में लेकर रगड़ने पर वदवूदार एवं दुर्गन्द युक्त पाया एवं इसमें फेट की मात्रा कम होना एवं तेल की मिलावट होने का अन्देशा होने पर 1 किलो पनीर वारते नमूना जॉच खरीदकर उसकी कीमत 175/- रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान ईरफान एवं श्री अरविन्द भारद्वाज S.I. के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलो पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल मे बराबर बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20-20 बूंदें डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेवल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेवलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कोड एवं क्रमांक E-4608 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. E-4608 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। भौतिक जाँच में दुर्गन्दयुक्त एवं फेट कम होने का अंदेशा होने एवं मोबारिक के बयान के आधार पर इस का विक्रय आम जनता के स्वास्थ्य के लिये हानि कारक होने के दृष्टिगत श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करते हुए निर्देशानुसार शेष रहे पनीर को जे.सी.बी. से गढ़ढा खोद कर पनीर को नष्ट करवाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में वन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील वन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/943 दिनांक 07.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/1296/एक्ट/2020/1376 दिनांक 01.10.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/3.86 दिनांक. 5/4/21 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। पत्र की प्रति संलग्न आवेदन है।
7. यह कि उक्त केस मे 1. मुबारिक खान पुत्र हारून खान (विक्रेता) मैसर्सः एच.के. डेयरी, काला की कोठी, खिलोरा, रामगढ़ जिला अलवर। नमूनीकरण पताः– चैकपोस्ट पुलिस थाना विराटनगर वाहर, जयपुर। वाहन पिकअप नं० RJ 32 GC 3901, 2. हारून खान पुत्र हुसेना (प्रोपराईटर) मैसर्सः– एच.के. डेयरी, काला की कोठी, खिलोरा, रामगढ जिला अलवर। निवासीः– 135, काला की कोठी, खालसा नगर, आदिनाका, खिलोरा, रामगढ जिला अलवर द्वारा सवस्टेण्डर्ड पनीर का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णय आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।
8. आवेदक द्वारा न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तामील हेतु नोटिस जारी किये गये बाद तामील अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भोलाराम गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नही आये इसलिए अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली को वहस हेतु नियत किया गया।

9. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की वहस सुनी गई। वहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा सवस्टेण्डर्ड पनीर का विक्रय/निर्माण कर के खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

10. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्वन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलव्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर की विक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से इस संवंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह सावित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो तथा अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी मुवारिक खान पुत्र हारून खान (विक्रेता) मैसर्स एच. के. डेयरी, काला की कोठी, खिलोरा, रामगढ जिला अलवर तथा हारून खान पुत्र हुसेना (प्रोपराईटर) मैसर्सः– एच.के. डेयरी, काला की कोठी, खिलोरा, रामगढ जिला अलवर। निवासीः– 135, काला की कोठी, खालसा नगर, आदिनाका, खिलोरा, रामगढ जिला अलवर पर........................ 25000/- (अक्षरे) .... शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर वैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 20-1-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-वहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली